POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 14.12.2025

1. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा सोसाइटी व घरों के बाहर लगी लोहे की ग्रिल को गैस कटर से काटकर एवं लोहे की बेंचों की चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए कबाड़ी सहित 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे/ निशानदेही से चोरी की गई 22 ग्रिल व 06 बेंच लोहा (करीब 15 क्विंटल) बरामद ।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-- दिनांक 12.12.2025 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि मानसरोवर अपार्टमेंट, सेक्टर- 61 नोएडा में अज्ञात चोरों द्वारा सोसाइटी के बाहर बनी फेंसिंग हटाकर लोहे की ग्रिलें को गैस कटर से काटकर एवं लोहे की बेंचो को चोरी कर लिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58 पर अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया था ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **14.12.2025** को **थाना सेक्टर-58 पुलिस** द्वारा गोपनीय सूचना व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से सोसाइटी व घरों के बाहर लगी लोहे की ग्रिल को गैस कटर से काटकर एवं लोहे की बेंचों की चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए कबाड़ी सहित 05 अभियुक्तगण 1. मौहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद शरीफ 2. फिरोज पुत्र जहीर 3. बशीर पुत्र शेख मोबेर अली 4. राजा ठाकुर पुत्र आको ठाकुर सेक्टर-60 रोड ग्रीन बेल्ट के पास से व चारों अभियुक्तों की निशादेही पर अभियुक्त जुम्मन खान पुत्र अलाउद्दीन को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/ निशानदेही से चोरी की गई 22 ग्रिल व 06 बेंच लोहा (करीब 15 क्विंटल) को ग्राम गिझोड़, सेक्टर-53 में खाली पड़ी जगह से बरामद किया गया है ।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने 10.12.2025 की रात को मानसरोवर, सेक्टर-61 नोएडा के बाहर से लोहे की ग्रिल और लोहे की बेंचें चोरी की थीं। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके पास दो ठेले हैं, जिनका उपयोग चोरी किया गया सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। वे मौका पाकर सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर लगे लोहे के सामान, ग्रिल, बेंच और पाइप चुराते हैं। चोरी किए गए पाइप और लोहे के अन्य हिस्सों को वे अपने साथी जुम्मन खान को देते हैं, जो कबाड़ी का कार्य करता है जो इन्हें कटर से काटकर स्क्रैप के रूप में बेच देता है। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि विभिन्न स्थानों की चोरी के पैसों से हमनें दो ठेले खरीदें थे। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य किया जाता था व चोरी किए गए सामनों को कबाड़ी के माध्यम से बेचकर अवैध धन अर्जित किया जाता था ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद शरीफ, निवासी– पूर्णिया लाइन बाजार, जिला पूर्णिया, बिहार; वर्तमान पता– गिझोड़, सेक्टर-53, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर; उम्र करीब 36 वर्ष।
2. फिरोज पुत्र जहीर, निवासी– सदवैली, थाना कस्बा, जिला पूर्णिया, बिहार; वर्तमान पता– गिझोड़, सेक्टर-53, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर; उम्र करीब 34 वर्ष।
3. बशीर पुत्र शेख मोबेर अली, निवासी– ग्राम गुरूशिया, थाना इलम बाजार, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल; वर्तमान पता– गिझोड़, सेक्टर-53, नोएडा, गौतमबुद्धनगर; उम्र करीब 20 वर्ष।
4. राजा ठाकुर पुत्र आको ठाकुर, निवासी– अररिया, थाना परवत्ता, जिला खगड़िया, बिहार; वर्तमान पता गिझोड़, सेक्टर-53, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर; उम्र करीब 19 वर्ष।
5. जुम्मन खान पुत्र अलाउद्दीन, निवासी– ग्राम इस्लामपुर, थाना कटिहार, जिला कटिहार, बिहार; वर्तमान पता गिझोड़, सेक्टर-53, थाना सेक्टर-24, नोएडा, गौतमबुद्धनगर; उम्र करीब 29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 453/2025 धारा 303(2),317(2),317(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

चोरी की गई 22 ग्रिल व 06 बेंच लोहा (करीब 15 क्विंटल)

2. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा ई-स्कूटी लीज स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **14.12.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से ई-स्कूटी लीज स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला शातिर अभियुक्त सौरभ मिश्रा पुत्र रंजीत कुमार मिश्रा को भंगेल से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त गौरव मिश्रा व सौरभ मिश्रा द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित योजना के तहत भंगेल स्थित चैतन्य बिल्डिंग में कार्यालय खोलकर एनसीआर क्षेत्र के लोगों को ई-स्कूटी कंपनी की लुभावनी स्कीम दिखाकर उनके नाम पर ई-स्कूटी खरीदने का झांसा देकर एवं प्रतिमाह किस्त के

रूप में लाभांश देने का प्रलोभन देकर उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी। इस प्रकार प्राप्त की गई धनराशि को अभियुक्तगण द्वारा अपने-अपने बैंक खातों में अर्जित किया जाता था। वर्तमान में चेतन बिल्डिंग स्थित कार्यालय को अभियुक्त गण बंद करके फरार हो गए थे। उक्त धोखाधड़ी के संबंध में पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दिनांक 13.12.2025 को थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

अपराध करने का तरीका--

1. अभियुक्त गौरव मिश्रा एवं सौरभ मिश्रा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली, गाजियाबाद एवं नोएडा (एनसीआर क्षेत्र) में रहने वाले लोगों को ई-स्कूटी निवेश/लीज योजना के नाम पर प्रत्येक ई-स्कूटी के लिए ₹85,000/- की धनराशि जमा कराने का कार्य करते थे।
2. अभियुक्तगण द्वारा पीड़ितों को यह झूठा आश्वासन दिया जाता था कि उनके नाम पर ई-स्कूटी खरीद ली गई है तथा कंपनी द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है।
3. इसके एवज में अभियुक्तगण प्रत्येक ई-स्कूटी पर ₹7,000/- प्रतिमाह, 03 वर्षों तक किस्त/लाभांश देने तथा 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत उक्त ई-स्कूटी वापस करने का लुभावना प्रलोभन देते थे।
4. अभियुक्तगण अपने कस्टमर को इस प्रकार आकर्षक, भ्रामक एवं विश्वासजनक वादों के जाल में फंसाते थे कि शिकायतकर्ता को यह आभास तक नहीं होता था कि वह एक सुनियोजित धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है।
5. अभियुक्त गौरव मिश्रा एवं सौरभ मिश्रा द्वारा अपने सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर ई-स्कूटी कंपनी के नाम से सुनियोजित स्कीम तैयार की गई थी, जिसके माध्यम से लोगों को लालच देकर धोखाधड़ी की जाती थी तथा प्राप्त धनराशि को अपने-अपने बैंक खातों में जमा कर अवैध लाभ अर्जित किया जाता था।
6. अभियुक्त गौरव मिश्रा एवं सौरभ मिश्रा ग्राम जयदेव पट्टी, थाना घनश्यामपुर, जिला दरभंगा (बिहार) के निवासी हैं।
7. अभियुक्त गौरव मिश्रा ने गौतमबुद्धनगर स्थित एक कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बी.टेक. तक की शिक्षा ग्रहण की है।
8. अभियुक्त गौरव मिश्रा साइबर ठगी के एक अन्य प्रकरण में पूर्व में कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार होकर जेल भेजा जा चुका है तथा वर्तमान में जिला कारागार गाजियाबाद में निरुद्ध है।
9. गौरव मिश्रा के विरुद्ध थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद में मु0अ0सं0 230/2025, धारा 318(4)/3(5) बी.एन.एस एवं 66D आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- सौरभ मिश्रा पुत्र रंजीत कुमार मिश्रा निवासी ग्राम जयदेव पट्टी, थाना घनश्यामपुर, जिला दरभंगा (बिहार) वर्तमान पता शम्भु वाटिका, भंगेल, थाना फेस–2, गौतमबुद्धनगर; उम्र: लगभग 21 वर्ष; शैक्षिक योग्यता: कक्षा–10 तक।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 603/2025 धारा 318(4)/316(2) बी.एन.एस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 604/2025 धारा 318(4)/316(2) बी.एन.एस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।